

(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
मिनागा मिनाबागोहरा  
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम करमावासी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 71 में मेरा/हमारे नाम धनश्यामदास पुत्र शंकरदास

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम धनश्यामदास पुत्र शंकरदास है।


अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक  
श्रीमान श्रीमान अतिलेख के आधारे श्री धनश्यामदास  
पुत्र शंकरदास के लिखान पर धनश्यामदास पुत्र शंकरदास  
रखने की अनुरोध की जाती है।

  
पर लामलीन रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

  
तहसीलदार समदडी / समदडी

GRMS No - 2025/524

आदेश

क्रमांक 12025/1749

दिनांक 20/09/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम करमावासी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 71 में धनश्यामदास पुत्र शंकरदास के वजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

धनश्यामदास पुत्र शंकरदास

करने की स्वीकृति प्रदान

की जाती है तदनुसार जमाबन्दी में उपरोक्त समद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी  
मिनाबागोहरा